# बैंक जमाराशियों पर मॉडल पालिसी

## 1 आमुखः

बैंक का एक महत्त्वपूर्ण कार्य होता है ऋण देने के प्रयोजन से लोगों से जमाराशियां स्वीकारना. असल में, जमाकर्ता बैंकिंग व्यवस्था के सबसे बडे भागीदार होते हैं. जमाकर्ता और उनके हित भारतीय बैंकिंग के लिए नियामक संरचना का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिसकी बुनियाद बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 में रखी गई है. भारतीस रिजर्व बैंक को जमाराशियों पर ब्याज दरों और जमा खातों के परिचालन से संबंधित विविध पहलुओं पर समय समय पर निदेश / सलाह जारी करने के अधिकार हैं. वित्तीय व्यवस्था में उदारीकरण और विनियम शिथिल किए जाने की वजह से अब बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी स्थूल मार्गनिर्देशों के भीतर अपने जमा उत्पाद बनाने की स्वतंत्रता है.

जमाराशियों पर नीतिगत दस्तावेज में बैंक द्वारा दिए जानेवाले विविध जमा उत्पादों को बनाने के विषय में मार्गदर्शी सिद्धांतों और खाते के परिचालन पर लागू होनेवाले नियम व शर्तों की रूपरेखा दी गई है. दस्तावेज में जमाकर्ताओं के हकों का उल्लेख है और जनता से जमाराशि स्वीकारने, विविध जमा खातों के आचरण व परिचालन, विविध जमाखातों पर ब्याज का भुगतान, जमाखातों को बंद करना, दिवंगत जमाकर्ता की जमाराशियों के निपटान की पद्धति इत्यादि से संबंधित विविध पहलुओं पर ग्राहकों के फायदे की दृष्टि से चर्चा की गई है. अपेक्षित है कि व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ अधिक पारदर्शिता के साथ कार्यव्यवहार करने तथा ग्राहकों को उनके हकों के विषय में सजग बनाने में यह दस्तावेज उपयोगी होगा. अंतिम लक्ष्य यह है कि ग्राहकों को बिना मांग किए सेवाएं उपलब्ध हो, जिनके वे अधिकारी हैं.

इस पालिसी को अपनाते समय बैंक भारतीय बैंक संघ की बैंकर्स उचित व्यवहार संहिता में रेखांकित ग्राहक के प्रति अपनी प्रत्येक प्रतिबद्धता को दोहराता है. यह दस्तावेज एक व्यापक फ्रेमवर्क है, जिसके अंतर्गत सामान्य जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी गई है. विविध जमा राशियों और संबद्ध सेवाओं पर विस्तृत परिचालनगत अनुदेश समय समय पर जारी किए जाएंगे.

## जमा खातों के प्रकार

बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाते विविध जमा उत्पादों को विभिन्न नाम दिए गए हैं. इन जमा उत्पादों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है. प्रमुख जमा योजनाओं की परिभाषा नीचे प्रस्तुत की गई हैः-

i. ‘‘मांग जमा राशि’’ अर्थात बैंक द्वारा प्राप्त की गई ऐसी जमाराशि, जो मांग पर आहरित की जा सके.

ii. ‘‘बचत जमा राशि’’ अर्थात ऐसी मांग जमाराशि, जिसमें आहरणों की संख्या तथा बैंक द्वारा एक निर्धारित अवधि के दौरान आहरण की राशि की अनुमति, कुछ प्रतिबंधों के अधीन हो.

iii. "आवधिक जमाराशि" अर्थात बैंक द्वारा एक निर्धारित अवधि के लिए स्वीकार गई जमाराशि जो उस निर्धारित अवधि की समाप्ति पर ही आहरित की जा सके और इसमें आवर्ती/दोहरा लाभ जमाराशि/अल्पावधि जमाराशि/ सावधि जमाराशि/मासिक आय प्रमाण पत्र/तिमाही आय प्रमाण पत्र आदि जमाराशियां शामिल हैं.

iv. नोटिस-जमाराशि अर्थात ऐसी आवधिक जमाराशि जो एक निश्चित अवधि के लिए हो परंतु एक बैंकिंग दिवस पूर्व का नोटिस दे कर आहरित की जा सकती है.

v. चालू खाता अर्थात मांग जमा राशि का ऐसा प्रकार जिसमें खाते में उपलब्ध शेष राशि अथवा अनुबंध में तय की गयी विशेष राशि की सीमा तक कितनी ही बार आहरण की अनुमति होती है और इसमें अन्य जमा खाते भी शामिल हैं जो न तो बचत बैंक जमा राशि है और न ही आवधिक जमा राशि.

3. <u>खाता खोलना एवं जमा खातों में परिचालन</u>

अ. खाता खोलने से पहले बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए ' 'अपने ग्राहक को जानिए" (केवायसी) दिशानिर्देशों के तहत उचित जांच परख करेगा और वैध माध्यमों का उपयोग कर अवैध धन को वैध बनाने (एंटी मनी लॉंडरिंग) के नियमों व विनियमों तथा बैंक द्वारा अपनाई गई अपनी ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसार अन्य मानदंड व कार्यपद्धतियां अपनाएगा. यदि किसी संभाव्य जमाकर्ता का खाता खोलते समय उच्च स्तर से निस्तारण की आवश्यकता होगी, तो खाता खोलने में होनेवाले विलंब के कारणों से उसे अवगत कराया जाएगा और बैंक का अंतिम निर्णय उसे यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा.

आ. **बैंक समाज के लाभ-वंचित तबकों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है. उन्हें बैंकिंग सेवाएं "नो फ्रील" खातों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और नियामक मार्गनिर्देशों के अनुसार शिथिल ग्राहक स्वीकृति मानदंड़ों के साथ खाते खोले जाएंगे.**

इ. खाता खोलने के फार्म तथा अन्य सामग्री बैंक द्वारा संभाव्य ग्राहक को उपलब्ध कराई जाएगी. उनमें सत्यापन हेतु तथा रिकार्ड हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों तथा जानकारी का ब्यौरा होगा. खाता खोलने वाले बैंक अधिकारी से यह अपेक्षित होगा कि जब ग्राहक खाता खुलवाने हेतु संपर्क करता है, तब वह उसे कार्यपद्धति से जुडी औपचारिकताओं को समझाए तथा संभाव्य ग्राहक द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण दें और उच्च/मध्यम एवं निम्न स्तर पर उनके जोखिम वर्गीकरण के संबंध में ग्राहक का प्रोफाईल तैयार किए जाने के बारे में बताएं. जहां संभाव्य ग्राहक जानकारी प्रस्तुत नहीं कर पाता है और/या उसके द्वारा सहयोग नहीं दिया जाता है वहां बैंक खाता नहीं खोलेगा.

ई. बचत बैंक खाता एवं चालू जमा खाता जैसे तथा उत्पादों के लिए बैंक सामान्यतया ऐसे खातों के परिचालन संबंधी लागू शर्तों के एक भाग के रूप में खाते में रखने के लिए एक न्यूनतम शेष राशि निर्धारित करेगा. खाते में न्यूनतम शेष जमा राशि न रख पाने की स्थिति में बैंक समय समय पर निर्धारित प्रभारों की वसूली करेगा. बचत खातों के मामले में बैंक एक निश्चित अवधि में संव्यवहारों की संख्या, नकद आहरण इत्यादि के बारे में भी एक निर्धारण लागू करेगा. उसी प्रकार बैंक चेक बुक जारी

करने, खातों के अतिरिक्त विवरण देने, डुप्लिकेट पास बुक देना, फोलियो प्रभार आदि के लिए भी प्रभार निर्धारण करेगा. इस प्रकार खातों के परिचालन संबंधी शर्तों के बारे में ऐसा पूरा ब्यौरा, विविध सेवाओं के लिए प्रभारों की अनुसूची संभाव्य जमा कर्ता को खाता खोलते समय सूचित की जाएगी.

उ. बचत खाता पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों तथा कुछ संगठनों/एजेंसियों(समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किए गए अनुसार) के लिए खोला जा सकता है.

चालू खाते व्यक्तियों/साझेदारी फर्मो/निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/अविभक्त हिंदू परिवार /विनिर्दिष्ट एसोसिएट/सोसायटीज/ट्रस्ट, सरकार (केन्द्रीय अथवा राज्य) द्वारा सृजित प्राधिकरण के विभाग, लिमिटेड देयता साझेदारी इत्यादि द्वारा खोले जा सकते हैं.

आवधिक जमा खाते व्यक्तियों/साझेदारी फर्मो/निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों / अविभक्त हिंदू परिवार / विनिर्दिष्ट एसोसिएट/सोसायटीज/ट्रस्ट, सरकार (केन्द्रीय अथवा राज्य) द्वारा सृजित प्राधिकरण के विभाग, लिमिटेड देयता साझेदारी इत्यादि द्वारा खोले जा सकते हैं.

ऊ. खाता खोलते समय उचित जांच प्रक्रिया में – व्यक्ति की पहचान के बारे में संतुष्टि करना, पते का सत्यापन, उसके व्यवसाय एवं आय के स्रोत के बारे में संतुष्टि करना आदि का समावेश होता है. संभाव्य जमाकर्ता की पहचान बैंक के लिए स्वीकार्य किसी व्यक्ति से प्राप्त करना और खाते खुलवाने/परिचालन करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों का नया फोटोग्राफ लेना भी उचित जांच प्रक्रिया का एक भाग है.

ए. उचित जांच प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं के अतिरिक्त केवायसी मानदंडों के तहत बैंक के लिए विधिगत आवश्यकतानुसार पर्मेनेंट एकाउंट नंबर (पैन) या जनरल इंडेक्स रजिस्टर (जीआईआर) या आयकर अधिनियम/नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार फार्म संख्या 60 या 61 में घोषणा पत्र प्राप्त करना अपेक्षित है.

ऐ. जमा खाते किसी व्यक्ति द्वारा अपने नाम पर (स्थितिः एकल नाम पर खाता के रूप में प्रचलित) या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके नाम पर (स्थितिः संयुक्त खाते के रूप में प्रचलित) खुलवाये जा सकते हैं. बचत खाता किसी अवयस्क के नाम पर उसके प्राकृतिक अभिभावक अथवा अभिभावक के रूप में माता के साथ (स्थिति- अवयस्क का खाता के रूप में प्रचलित) भी खोला जा सकता है. 10 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले अवयस्क स्वतंत्र रूप में बचत बैंक खाता खुलवा सकते हैं और परिचालित भी कर सकते हैं, बशर्ते वह अवयस्क लिखने पढ़ने में सक्षम हो और शाखा प्रबंधक/संयुक्त प्रबंधक की राय में वह जो कुछ कर रहा है, उसे समझता भी हो. तथापि ऐसे अवयस्कों को ओवरड्राफ्ट मंजूर नहीं किया जाएगा.

बचत खाता अभिभावक के प्रतिनिधित्व में अवयस्क द्वारा या प्राकृतिक अभिभावक के प्रतिनिधित्व में ऐसे अवयस्क द्वारा किसी वयस्क के साथ संयुक्त रूप से खुलवाया जा सकता है. 10 वर्ष से अधिक आयु के अवयस्क को संव्यवहारों पर प्रतिबंधों के अधीन बचत खाता खुलवाने की अनुमति होगी और ऐसे

खातों में चेक बुक प्रदान नहीं की जाएगी.

ओ. **संयुक्त खाते में परिचालनः**

एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खुलवाए गए संयुक्त खाते एक व्यक्ति द्वारा या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से परिचालित किए जा सकते हैं. खाता परिचालित करने संबंधी परिचालन आदेश को सभी खाताधारकों की सहमति से संशोधित किया जा सकता है. अवयस्क द्वारा अपने प्राकृतिक अभिभावक/अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से बचत खाता खुलवाया जा सकता है, जिसका संचालन प्राकृतिक अभिभावक द्वारा ही किया जा सकता है.

औ. संयुक्त खाताधारक अपने उक्त खातों में शेष के निपटान हेतु निम्नलिखित में से कोई परिचालन आदेश दे सकते हैं : -

i. दोनों में एक या उत्तरजीवी – यदि खाता दो व्यक्तियों के नाम पर है – मानो ए एवं बी के, तो ब्याज, यदि लागू होता है, तो उसके सहित की अंतिम शेष राशि का भुगतान खाताधारकों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति को किया जाएगा.

ii. कोई भी या उत्तरजीवी – यदि खाता दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर हो, मानो ए, बी एवं सी के, तो ब्याज यदि लागू होता हो, तो उसके सहित की अंतिम शेष राशि का भुगतान अन्य दो खाताधारकों की मृत्यु हो जाने पर उत्तरजीवी व्यक्ति को किया जाएगा.

उपरोक्त परिचालन आदेश आवधिक जमाराशियों के विषय में परिपक्वता की तारीख को या उसके के बाद ही लागू होंगे. इस परिचालन आदेश में सभी खाताधारकों की सहमति से परिवर्तन किया जा सकेगा.

अं. जमाकर्ता के अनुरोध पर बैंक को उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उसकी ओर से खाता परिचालित करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए दिए गए परिचालन आदेश /मुख्तारनामे को बैंक पंजीकृत करेगा.

अः. आवधिक जमाराशि खाताधारक अपनी जमाराशियां रखते समय जमा खाते को बंद करने के संबंध में या परिपक्वता की तारीख पर आगे की किसी अवधि के लिए जमा राशि को नवीकृत करने के संबंध में अनुदेश दे सकता है. **ऐसे परिचालन आदेश के अभाव में बैंक जमाराशि को निम्नानुसार स्वतः नवीकृत करेगा. (i) यदि जमा राशि एक से अधिक वर्ष के लिए रखी गयी हो तो उसका स्वतः नवीकरण नियत तारीख पर प्रवर्तमान दर पर एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जाएगा. (ii) यदि जमा राशि एक से कम वर्ष के लिए रखी गयी हो तो उसकी नियत तारीख पर उसी अवधि के लिए प्रवर्तमान दर पर स्वतः नवीकृत किया जाएगा.**

अअ. व्यक्तियों द्वारा खुलवाये गये सभी जमा खातों में नामांकन सुविधा उपलब्ध है. नामांकन सुविधा एकल स्वामित्व की कंपनी के खाते में भी उपलब्ध है. नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है. नामांकन को रद्द किया जा सकता है या उसे परिवर्तित किया जा सकता है. नामांकन करते समय,

रद्द करते समय या उसके परिवर्तन के समय उस पर तीसरी पार्टी के साक्ष्य की आवश्यकता होगी. नामांकन खाताधारक/कों की सहमति से परिवर्तित किया जा सकता है. किसी अवयस्क के पक्ष में भी नामांकन किया जा सकता है.

बैंक की यह सिफारिश है कि सभी जमाकर्ताओं को नामांकन सुविधा का लाभ उठाना चाहिए. जमाकर्ता/कों की मृत्यु की स्थिति में नामिती उस खाते में शेष राशि को कानूनी उत्तराधिकारियों के एक ट्रस्टी के रूप में प्राप्त करेगा. जमाकर्ता को जमाखाता खोलते समय नामांकन के लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी.

अआ. बैंक द्वारा बचत बैंक खाते में तथा चालू खाते में आवधिक रूप से खाता खोलते समय निर्धारित की गयी शर्तों के अनुसार खाते का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा. वैकल्पिक रूप से बैंक खाताधारकों को पासबुक उपलब्ध करा सकता है.

अइ. जमा कर्ता के अनुरोध पर खातों का बैंक की किसी अन्य शाखा में अंतरण किया जा सकता है.

अई. बैंक को सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो ऐसा ब्यौरा प्रस्तुत न कर पाने पर ग्राहक को पर्याप्त नोटिस (नोटिसें) देने के बाद खाता बंद भी किया जा सकता है.

4. **ब्याज का भुगतानः**

I. बचत खाते में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा. तथापि आवधिक जमा खातों में ब्याज की दर बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के समय-समय पर जारी किये गये सामान्य दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित की जाएगी.

II. भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अधीन आवधिक जमा राशियों पर ब्याज की गणना तिमाही अंतराल पर की जाएगी और उसका भुगतान जमा राशियों की अवधि के अनुरूप बैंक द्वारा निर्धारित की गयी दर पर ही किया जाएगा. मासिक जमा योजना के मामले में ब्याज की गणना तिमाही के लिए की जाएगी और उसका भुगतान मासिक आधार पर बट्टेकृत मूल्य पर किया जाएगा. आवधिक जमाराशियों पर ब्याज की गणना बैंक द्वारा भारतीय बैंक संघ द्वारा सूचित की गयी फार्मूला एवं परंपरा के अनुरूप की जाएगी.

III. जमा राशियों पर ब्याज की दरें शाखा परिसरों में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाएंगी. जमा योजनाओं के संबंध में और अन्य संबद्ध सेवाओं में संशोधन, यदि कोई होंगे तो उन्हें भी पर्यापत समय पहले सूचित किया जाएगा और प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा.

VI. यदि एक व्यक्ति द्वारा रखी गयी सभी जमा रसीदों पर प्रदत्त/देय कुल ब्याज आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित की गयी राशि से अधिक होता है तो उस पर स्रोत पर कर की कटौती करना बैंक का सांवैधानिक

दायित्व है. बैंक कटौती किये गये कर की राशि के लिए कर कटौती प्रमाणपत्र (टीडीएस प्रमाणपत्र) जारी करेगा. यदि जमाकर्ता टीडीएस से छूट के लिए पात्र है तो वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र में प्रस्तुत करेगा.

**5. अवयस्क के खाते**

(i) अवयस्क बचत बैंक खाता खुलवा सकता है और उसके प्राकृतिक अभिभावक द्वारा या यदि वह 10 वर्ष से अधिक आयु का है तो स्वयं उसके द्वारा परिचालित किया जा सकता है. खाते को संयुक्त रूप से भी परिचालित किया जा सकता है.

(ii) वयस्क बन जाने पर उस अवयस्क को उसके खाते की शेष राशि की पुष्टि करनी चाहिए और यदि उस खाते का परिचालन प्राकृतिक अभिभावक/अभिभावक द्वारा किया जाता हो तो उस तत्कालीन अवयस्क के नये नमूना हस्ताक्षर उसके प्राकृतिक अभिभावक द्वारा सत्यापित करवा कर प्राप्त किये जाने चाहिए और सभी परिचालनगत प्रयोजनों के लिए रिकार्ड में रखना चाहिए.

**6. अशिक्षित/दृष्टिहीन व्यक्ति का खाताः**

बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी अशिक्षित व्यक्ति का चालू खाते के अतिरिक्त अन्य जमा खाते खोल सकता है. ऐसे व्यक्ति का खाता खोला जा सकता है, बशर्ते वह बैंक में स्वयं आये और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसे जमाकर्ता भी जानता हो और बैंक भी. सामान्यतया ऐसे बचत बैंक खाते में चेक बुक सुविधा नहीं दी जाती. आहरण/ जमा राशि और या ब्याज की चुकौती के समय खाताधारक प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में अपने अंगूठे का निशान लगाएगा और वह अधिकारी उस व्यक्ति की पहचान का सत्यापन करेगा. बैंक उसे पासबुक इत्यादि को संभालकर और सुरक्षित रखने के बारे में समझाएगा. बैंक अधिकारी अशिक्षित/दृष्टिहीन व्यक्ति को खाते की शर्तों के बारे में भी समझाएगा.

7. **संयुक्त खाताधारकों के नाम हटाना या जोडनाः**

बैंक सभी खाताधारकों के अनुरोध पर संयुक्त खाताधारकों के नाम जोडने या घटाने की अनुमति दे सकता है, यदि स्थिति की ऐसी मांग हो और किसी एकल जमाकर्ता को संयुक्त खातधारक के रूप  में किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोडने की अनुमति दे सकता है.

8. **ग्राहक सूचनाः**

ग्राहक से एकत्र की गयी ग्राहक सूचना का उपयोग बैंक द्वारा उसकी अनुषंगी एवं संबद्धों द्वारा सेवाओं या उत्पादों की क्रॉस ब्रिकी के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा. यदि बैंक ऐसी सूचना का उपयोग करना चाहता है तो उसे खाताधारक की सहमति से ही करना चाहिए.

9. **ग्राहक के खातों की गोपनीयताः**

बैंक ग्राहक के खाते का ब्यौरा या विवरण ग्राहक की व्यक्त या अव्यक्त सहमति के बिना किसी तीसरे व्यक्ति को या पार्टी को उपलब्ध नहीं कराएगा. यद्यपि इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि कानून के तहत सूचना प्रकट करना अनिवार्य हो, जहां यह प्रकट करना जनता के प्रति दायित्व हो और जहां बैंक के हित के लिए इसे प्रकट करना अपेक्षित हो.

10. **आवधिक जमाराशियों का समय पूर्व आहरणः**

बैंक जमाकर्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर अपने विवेकाधिकार से जमाराशि रखते समय अनुबंध किये गये अनुसार की जमाराशि की अवधि के पूरा होने से पहले आहरण की अनुमति दे सकता है.

**आवधिक जमा राशि के परिपक्वता पूर्व आहरण के लिए दंडात्मक ब्याज दर निम्नानुसार है:**

i. **रु. 5/- लाख तक की न्यूनतम 12 मास की अवधि के लिए रखी गयी जमाराशि के परिपक्वता पूर्व भुगतान को दंड से छूट दी जाती है. ऐसी अवधिपूर्व जमाराशियों के भुगतान पर ब्याज का गणन बैंक के पास जितने समय के लिए जमाराशियां रही हों, उस अवधि के लिए बैंक द्वारा जमाराशि स्वीकारने की तारीख पर लागू ब्याज दर से किया जाएगा (यानी वह दर जो अनुबंध की तारीख को लागू होगी).**

ii. **अन्य मामलों में जमा राशि के परिपक्वतापूर्व भुगतान के लिए लागू ब्याज की गणना उस दर पर की जाएगी जो बैंक के पास जमाराशि जमा रहने की अवधि के लिए बैंक द्वारा जमाराशि स्वीकारने की तारीख पर लागू ब्याज दर में से 1% दंड घटाते हुए लगाई जाएगी, जहां जमाराशि दंड के लिए पात्र हो.**

iii. **मृतक जमाकर्ता के खाते में दावों के निपटान पर दंड से छूट दी जाती है, यदि आवधिक जमाराशि मृतक जमाकर्ता के नाम पर हो और जहां दो या अधिक जमाकर्ताओं के नाम पर हो और एक जमाकर्ता की मृत्यु हो गयी हो. ब्याज का भुगतान लागू दर पर किया जाएगा.**

**11. आवधिक जमाराशियों का अवधिपूर्व नवीकरणः**

यदि जमाकर्ता अपनी वर्तमान आवधिक जमा खाते को परिपक्वता पूर्व बंद करके जमाराशि नवीकृत करवाना चाहता है तो बैंक नवीकरण की तारीख पर लागू दर पर उसको नवीकृत करने की अनुमति देगा बशर्ते जमाराशि का नवीकरण मूल जमा राशि की शेष अवधि से लंबी अवधि के लिए किया जा रहा हो. यदि नवीकरण के उद्देश्य से जमाराशि को परिपक्वता पूर्व बंद किये जाते समय जितनी अवधि के लिए जमाराशि बैंक के पास रही, उस अवधि के लिए लागू दर से जमा राशि बैंक के पास रही उस अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा

और न कि अनुबंध की दर पर.

## 12 अतिदेय आवधिक जमा राशि का नवीकरणः

जब किसी आवधिक जमा राशि को परिपक्वता पर नवीकृत किया जाता है, तब नवीकृत की गयी जमाराशि पर जमाकर्ता द्वारा निर्धारित की गयी अवधि के लिए ब्याज की दर परिपक्वता की तारीख पर लागू ब्याज की दर प्रभारित की जायेगी. यदि नवीकरण का अनुरोध परिपक्वता की तारीख के बाद प्राप्त होता है, तो ऐसी अतिदेय आवधिक जमा राशियों को उसकी परिपक्वता की तारीख के प्रभाव से नवीकृत किया जाएगा और उस नियत तारीख पर लागू ब्याज की दर लगायी जाएगी, बशर्ते ऐसा अनुरोध परिपक्वता की तारीख से 14 दिनों के अंदर प्राप्त होता है. परिपक्वता की तारीख से 14 दिनों के बाद नवीकृत की गयी अतिदेय जमाराशियों के संबंध में अतिदेय अवधि के लिए बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गयी दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा.

## 13. जमा राशियों के पेटे अग्रिम

बैंक जमाकर्ता/ओं के अनुरोध पर इनके द्वारा विधिवत विमोचित की गयी जमाराशियों के पेटे आवश्यक प्रतिभूति दस्तावेजों को निष्पादित किये जाने पर उन्हें ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा मंजूर करने पर विचार कर सकता है. बैंक किसी अवयस्क के नाम पर हो ऐसी जमाराशि के पेटे ऋण देने पर विचार कर सकता है. परंतु इसके लिए जमाकर्ता आवेदक को ऐसा एक उचित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यह ऋण अवयस्क के लाभार्थ लिया जा रहा है.

## 14. मृतक जमाखातों में बकाया राशियों का निपटानः

i. यदि जमाकर्ता ने बैंक के पास नामांकन पंजीकृत किया होः मृतक जमाकर्ता के खाते में बकाया शेष राशि को नामित व्यक्ति की पहचान के संबंध में बैंक संतुष्ट होने पर उसके खाते में अंतरित की जाएगी/उसे प्रदान की जाएगी.

ii. उपरोक्त पद्धति का अनुसरण ऐसे संयुक्त खाते के संबंध में भी किया जाएगा जहां बैंक के पास नामांकन दर्ज किया गया हो.

iii. संयुक्त जमा खाते में जब एक संयुक्त जमा खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तब बैंक को मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिसों तथा जीवित जमाकर्ता(ओं) को संयुक्त रूप से भुगतान करना होगा. तथापि यदि संयुक्त जमा खाताधारक ने खाते में शेष राशि के निपटान के लिए ऐसा परिचालन आदेश दिया हो, जैसे कि 'दोनों में एक या उत्तरजीवी', पहला / बाद का या उत्तरजीवी, उत्तरजीवियों में से कोई एक या उत्तरजीवी आदि, तो भुगतान परिचालन आदेश के अनुरूप किया जाएगा ताकि मृतक व्यक्ति के वारिसों द्वारा कानूनी कागज़ातों की प्रस्तुति में

विलंब को टाला जा सकें.

iv. नामांकन के अभाव में और जहां दावेदारों में कोई मतभेद न हों तब बैंक मृतक व्यक्ति के खाते में बकाया शेष राशि का भुगतान, संयुक्त आवेदन पत्र के पेटे तथा सभी कानूनी वारिसों द्वारा क्षतिपूर्ति पत्र देने पर या कानूनी वारिसों द्वारा उनकी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए परिचालन आदेश दिये गये व्यक्ति को करेगा.  इस स्थिति में बैंक के निदेशक मंड़ल द्वारा मंजूर की गयी सीमा तक की राशि का भुगतान किसी कानूनी दस्तावेजों के लिए आग्रह किये बिना किया जाएगा. यह सुनिश्चित किया जाए कि सामान्य जमाकर्ताओं को कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में विलंब होने की वजह से कोई परेशानी न हो.

15. **मृतक खातों में आवधिक जमा राशि पर देय ब्याजः**

i. जमाराशि की परिपक्वता की की तारीख से पहले जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर और जमाराशि के लिए दावा परिपक्वता की तारीख के बाद किये जाने पर बैंक परिपक्वता की तारीख तक अनुबंध की दर पर ब्याज का भुगतान करेगा. परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक बैंक परिपक्वता की तारीख पर लागू ब्याज दर पर सरल ब्याज का भुगतान करेगा, उतनी अवधि तक जितनी अवधि तक परिपक्वता की तारीख के बाद जमा राशि बैंक के पास रही हो.

ii. तथापि जमाकर्ता की मृत्यु जमाराशि की परिपक्वता की तारीख के बाद होती है वहां परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक बचत बैंक जमाराशि की दर पर ब्याज का भुगतान करेगा.

**16. जमाराशियों के लिए बीमा कवर**

सभी बैंक जमाराशियां कुछ सीमाओं एवं शर्तों के अधीन जमा बीमा एवं ऋण गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रस्तावित बीमा योजना के तहत कवर होती है. प्रभावी बीमा कवर को ब्यौरा जमाकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा.

**17. भुगतान रोके सुविधा**

बैंक जमाकर्ता द्वारा जारी किये गये चेकों के संबंध में उसके भुगतान रोकने हेतु अनुदेश का स्वीकार करेगा, इसके लिए निर्धारित प्रभारों की वसूली की जाएगी.

**18. निष्क्रिय खाते**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जिन खातों में पिछले दो वर्षों से कोई परिचालन न किया गया हो उन्हें निष्क्रिय खाते माना जाएगा. बैंक के तथा जमाकर्ता के हित की दृष्टि से इन खातों को सिस्टम में निष्क्रिय खातों में दर्शाया जाएगा. यदि 1 वर्ष से खाते में कोई परिचालन न हो तो उस खाते को संभाव्य निष्क्रिय खाता माना जाएगा और ऐसे खाते को निष्क्रिय बनाने से रोकने के लिए जमाकर्ता को उस खाते में परिचालन हेतु सूचित किया जाना चाहिए. जमाकर्ता द्वारा केवायसी दस्तावेजों की प्रस्तुति के साथ जमाकर्ता के अनुरोध पर निष्क्रिय खाते को सक्रिय किया जा सकता है. बैंक दस्तावेजों का सत्यापन और उचित जांच करवाने के बाद ऐसे खाते को सक्रिय करेगा. जमाकर्ता को यदि कोई प्रभार देय होगा तो सूचित किया जाएगा और बैंक द्वारा उसकी वसूली की जाएगी.

## 19. शिकायतों का निवारण

जमाकर्ताओं को बैंक द्वारा दी गयी सेवाओं के संबंध में कोई शिकायत हो तो उसे बैंक द्वारा शिकायतों का निवारण करने के लिए नामित प्राधिकारी(रियों) से संपर्क करने का अधिकार होगा. शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक व्यवस्था का ब्यौरा शाखा परिसर में तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा. बैंक अधिकारी शिकायत दर्ज करवाने संबंधी प्रक्रिया के बारे में सभी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएंगे. यदि जमाकर्ता को बैंक की ओर से शिकायत की तारीख से 60 दिनों के अंदर कोई उत्तर नहीं मिलता है या बैंक से प्राप्त उत्तर से वह संतुष्ट नहीं है, तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने का अधिकार है.